सं.1–57/एफ एस एस ए आई / बैठक /2008

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक विनियामक निकाय)

तृतीय एवं चतुर्थ तल, एफ डी ए भवन, कोटला रोड़,

नई दिल्ली–110002

दिनांकः 17.06.2009

शुद्धिपत्र

विषयः दिनांक 8 मई, 2009 को 11 बजे एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में इसके मुख्यालय में आयोजित एफ एस एस ए आई की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

कृपया इस प्राधिकरण के समासंख्यक पत्र दिनांक 21.05.2009 का संदर्भ लें जिसके तहत दिनांक 8 मई, 2009 को आयोजित प्राधिकरण की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त संलग्न किया था। इस संबंध में सदस्यों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर, निम्नलिखित सुधार किए गए हैं–

मद सं. 13, पृष्ठ 6: शब्दों "निदेशक (एनडीडीबी)" को "सलाहकार (एनडीडीबी)" के रूप में पढ़ा जाए।

उपर्युक्तानुसार संशोधित कार्यवृत्त आपके अवलोकनार्थ संलग्न है।

(आर. विजय)
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

दिनांक 8 मई, 2009 को 11 बजे एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में इसके मुख्यालय में आयोजित एफ एस एस ए आई की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

प्रारंभ में, श्री पी. आई. सुवरथन, अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का खाद्य प्राधिकरण की द्वितीय बैठक में गर्मजोशी सेस्वागत किया। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक–1 में है। श्री गिबसन जी. वेदामणि, श्री दिनेश शर्मा, डा. (श्रीमती) टी.ए. कादरभाई, श्री वी.के. भसीन, श्रीमती नवराज संधू और डा. एस. गिरिजा को, जो बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, को अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की।

मद सं. 1

श्री पी.आई. सुवरथन, अध्यक्ष ने श्री देबाशीष पांडा और श्री अंशु प्रकाश को खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री अंशु प्रकाश को अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा श्री टापे बागड़ा के स्थान पर मनोनीता किया गया है। किंतु, इस संबंध में अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। श्री देबाशीष पांडा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ने पुष्टि की कि मंत्रालय उचित समय में अधिसूचना जारी करेगा। इस पर भी चर्चा की गई कि राज्य सरकार द्वारा सदस्य के नामिती की अधिसूचना पदनाम/पद के अनुसार अधिसूचित की जा सकती है ताकि मनोनीता सदस्य का स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति होने पर आगे अधिसूचना जारी करने से बचा जा सके। इस बात पर सहमति हुई कि जहां केन्द्रीय मंत्रालयों के नामिती पदनाम के अनुसार हो सकते हैं, वहीं राज्य सरकार से नामिती की पहचान करने और पदनाम को सूचित करने का अनुरोध किया जा सकता है ताकि इस संबंध में एक प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जा सके। गैर–सरकारी सदस्यों को संबंध है, परिवर्तनों हेतु प्रस्तावों को, यदि कोई हो, प्राधिकरण द्वारा मंत्रालय को भेजा जा सकता है।

मद सं. 2

दिनांक 10 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न से भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्य के रूप में श्री वी. एन. गौड़ की नियुक्ति को नोट किया गया।

मद सं. 3

सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार खाद्य प्राधिकरण में अपना पद संभालते हुए श्री देबाशीष पांडा और श्री अंशु प्रकाश ने अपनी वार्षिक रूचि की घोषणा (अनुलग्नक 2) दायर/घोषित की। उपस्थित सभी सदस्यों ने खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16 (4) (ख) के अनुसार बैठक की कार्यसूची में मौजूद मदों के संबंध में विशिष्ट रूचि की घोषणा (अनुलग्नक 3) को दाखिलकी घोषणा किया।

मद सं. 4

खाद्य प्राधिकरण की दिनांक 19 दिसंबर, 2008 की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में शुद्धिपत्र के अधीन, पुष्टि की गई–

(i) प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की मद सं. 14 निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाए–

"यह भी निर्णय लिया गया कि लेखापरीक्षक उसी परिलब्धि के अंतर्गत दिनांक 18.02.08 से 31.03. 08 तक की अवधि के लेखों की भी जांच/लेखापरीक्षा करेंगे।"

की–गई–कार्रवाई की रिपोर्ट को नोट किया गया और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ इसकी पुष्टि की गई–

(i) की–गई–कार्रवाई की रिपोर्ट की मद सं. 14 बताती है "लेखापरीक्षक नियुक्त हुए और आदेश की प्रति संलग्न है"। किंतु, आदेश के कोई भी प्रति संलग्न नहीं पाई गई (बैठक के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति संबंधी एक पत्र की प्रति सदस्यों को परिचालित की गई)।

(ii) स्व–विनियमन को प्रोत्साहित करने की जरूरत, खाद्य क्षेत्र में हितधारकों की विविधता, उद्योग के लिए आचार संहिता की जरूरत और उपभोक्ता व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए एक खाद्य संरक्षा योजना और मॉडलों के विकास की जरूरत के आलोक में खाद्य प्राधिकरण के विजन कथन का प्रारूप तैयार किया जा सकता है।

(iii) मिशन कथन पारदर्शी और ईमानदार व्यापार प्रणालियों को प्रोत्साहित करने तथा सरल और समझी जा सकने वाली भाषा में विज्ञान आधारित सूचना प्रदान करने की आवश्यकता का सूचक होना चाहिए।

अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि विजन और मिशन दस्तावेज को विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा और सदस्यों के अवलोकनों को भी इस प्रक्रिया में ध्यान में रखा जाएगा। प्राधिकरण ने सेवा प्रदान किए जाने के मानकों और एक नागरिक चार्टर विकसित करने के लिए परामर्श भी प्रारंभ किए हैं।

मद सं. 5

श्री वी.एन.गौड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया गया जिसमें खाद्य प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद हुए विकासों को रेखांकित किया गया।

मद सं. 6

निम्नलिखित आशोधनों/सुझावों के साथ वर्ष 2008–09 के लिए खाद्य प्राधिकरण के वार्षिक रिपोर्ट और व्यय विवरण को अनुमोदित किया गया।

(i) वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 1 के पैरा 3 के अंतर्गत प्रथम पंक्ति इस प्रकार पढ़ी जाए "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एफ एस एस ए आई हेतु प्रशासनिक मंत्रालय है"

(ii) प्रदान किए गए एफपीओ लाइसेंसों, संस्थापित क्षमता और फलों के उत्पादन और वनस्पति उत्पादों तथा मीठे वातित (एयरेटेड) वाटर के संबंध में 2008 तक अद्यतन किए गए विवरण दिए जाएं।

(iii) यदि उपलब्ध हों तो, पीएफए के अंतर्गत प्रदान किए गए लाइसेंसों की संख्याओं, प्रत्येक राज्य में लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण, पीएफए के अंतर्गत लंबित अदालती मामलों की संख्या के विवरणों को इस रिपोर्ट में शामिल किया जाए।

(iv) जारी की गई अधिसूचनाओं को प्रसार किया जाए और लेबलिंग तथा अनय मामलों के संबंध मार्गदर्शी सिद्धांत विकसित किए जाएं।

(v) वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 45 में, 'टिप्पणी' के अंतर्गत, इसे ऐसा पढ़ा जाए "खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तीन आदेशों के अंतर्गत 13 पद रखता है"।

(vi) मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपादकीय परिवर्तनों या त्रुटियों में सुधार करने के लिए प्राधिकृत थे।

मद सं. 7

निम्नलिखित संशोधनों/सुझावों के साथ एफ एस एस ए आई के कर्मचारियों के लिए नियमों और विनियमों को अनुमोदित किया गया–

(i) अंतरराष्ट्रीय यात्रा के संबंध में अनुमोदन और दैनिक भत्ते को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नियमों के अंतर्गत नहीं दर्शाया गया है। इसके लिए उपबंध नियमों में शामिल किए जा सकते हैं।

(ii) यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि एफ एस एस ए आई के अंतर्गत बनाए गए नियम, अधिनियम की धारा 90 के अनुसार विभिन्न सरकारी विभागों से आने वाले कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार अहितकर नहीं हो।

(iii) अधिनियम की धारा 90 के अनुसार विभिन्न खाद्य संबंधी आदेशों/अधिनियम से खाद्य प्राधिकरण को स्थानांतरित कर्मचारियों की सेवाएं उन्हीं निबंधनों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए जो वे भारत सरकार की सेवा में रख रहे थे। इसका एफ एस एस ए आई के भर्ती नियम (भ.नि.) बनाते समय स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भ.नि. अधिनियम की धारा 90 के विरोधाभासी नहीं हों।

अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आगे स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की 'सेवा शर्तों' के विस्तार के संबंध में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विाागा से परामर्श किया जा रहा है जो अधिनियम के अनुसार वही रहेगा जैसा कि भारत सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है।

मद सं. 8

श्री एस.एस.चहल ने केन्द्रीय सलाहकार समिति, वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों के गठन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। खाद्य प्राधिकरण ने खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 11, 14 और 13 के अनुसार गठित केन्द्रीय सलाहकार समिति, वैज्ञानिक समिति और आठ वैज्ञानिक पैनलों की संरचना को इस सुझाव के साथ अनुमोदित किया कि यदि आवश्यक हुआ, तो औशधविज्ञमन (फार्माकोलॉजी) और माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी न्यूट्रास्यूटिकल्स से

संबंधित वैज्ञानिक पैनल में शामिल किया जा सकता है। अध्यक्ष ने आगे उल्लेख किया कि आवश्यकताओं के आधार पर अन्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों से भी संपर्क किया जा सकता है। इस बात पर सहमति हुई कि खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी खाद्य प्राधिकरण की आवश्यकताओं के आधार पर और प्राधिकरण द्वारा पहले से अनुमोदित प्रक्रिया की तर्ज पर वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति की संरचना में परिवर्तन करने का प्राधिकार रखेंगे।

खाद्य प्राधिकरण के कार्य संव्यवहार की प्रक्रिया के नियमों, केन्द्रीय सलाहकार समिति के संचालनों को नियंत्रित करने वाले विनियमों हेतु प्रक्रिया और वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों के गठन और संचालन के लिए प्रक्रिया में, जैसाकि कार्यसूची टिप्पणी में दर्शाया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों पर विचार किया गया और उन्हें अनुमोदित किया गया।

मद सं. 9

निम्नलिखित सुझावों के साथ खाद्य गुणवत्ता और संरक्षा हेतु अनुसंधान और विकास कार्य किए जाने की योजना हेतु दिशानिर्देशों पर विचार किया गया और उन्हें अनुमोदित किया गया–

- यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अध्ययन/अनुसंधान और विकास कार्य का कोई अनुलिपकरण नहीं हो।
- परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्यवयन को संभव बनाने के लिए निधियों को शीघ्रता से जारी किया जाना चाहिए।
- किसी अध्ययन/अनुसंधान और विकास कार्य की आवश्यकता का आकलन करने के लिए आकलन समिति में, जहां कही आवश्यकता हो, डीएसटी, आईसीएआर, आईसीएमआर इत्यादि से विशेषज्ञों को संबद्ध किया जा सकता है।
- अनुसंधान प्राथमिकताओं के संबंध में वैज्ञानिक समिति और संबंधित वैज्ञानिक पैनल से भी आवधिक रूप से परामर्श किया जा सकता है।

मद सं. 10

खाद्य प्राधिकरण के पिछली बैठक में अनुमोदित संरचना के अनुसार एफ एस एस ए आई में अनेक पदों के सृजन के लिए संशोधित प्रस्ताव पर विचार किया गया और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ उसे अनुमोदित किया गया–

- संगठन संरचना में उपयुक्त संघटन वाला एक स्वतंत्र कोडेक्स प्रकोष्ठ का उपबुंध वयवस्था की जानी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि खाद्य प्राधिकरण को, सरकार को प्रस्तावों को भेजे जाने से पहले, उन्हें तैयार किए जाने और विभिन्न कोडेक्स मुद्दों से संबंधित राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में परामर्श संबंधी कार्य को अब शुरू करना चाहिए।
- क्षमता निर्माण के लिए एक प्रशिक्षण और कौशल निर्माण प्रकोष्ठ होना चाहिए।
- एफ एस एस ए आई का एक विधिक प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए।

- खाद्य प्राधिकरण के मंडल कार्यालय बनाम राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्तों के कार्यों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

- आयातित खाद्य पदार्थ की संरक्षा की जांच करने के लिए सभी प्रवेश पत्तनों पर एफ एस एस ए आई अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कदम उठाए जाऐ ।

- उपर्युक्त सुझावों के मद्देनजर पदों की संख्या में संशोधन किया जाना चाहिए।

मद सं. 11

अध्ययनों/सर्वेक्षण/प्रचार कार्यक्रमों को करने तथा खाद्य प्राधिकरण के कार्य में सहायता देने के लिए बाह्य विशेषज्ञता प्राप्त करने की प्रक्रिया पर विचार किया गया और उसे अनुमोदित किया गया।

मद सं. 12

निम्नलिखित सुझावों के साथ वर्ष 2009–10 के लिए खाद्य प्राधिकरण की कार्य योजना को स्वीकार अपनाया गया–

- स्पष्ट रूप से पहचाने गए लक्ष्यों के साथ पंचायत और नगरीय स्तर तक एक व्यावहारिक खाद्य संरक्षा योजना विकसित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

- खाद्य संरक्षा अधिकारी के उत्तरदायित्व को उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए।

- पंचायतों/नगरपालिकाओं को खाद्य संरक्षा योजना की आवश्यकता तथा कार्यान्वयन के विवरणों के संबंध में जागरूक बनाने के लिए एक अग्रामी पहल प्रारंभ करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- एफ एस एस ए आई को खाद्य पदार्थों के एक घटक तत्व के रूप में जल का एक व्यवहार्य मानक विकसित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और अन्य अभिकरणों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

- प्राधिकरण के बढ़ते हुए कार्यों के अनुसार स्थान की आवश्यकताओं पर चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि सरकार से प्राधिकरण के अधिदेश को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त संरचना और सुविधाएं स्थापित किए जाने को संभव बनाने के लिए एवान–ए–गालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली– 02 में भूखंड आबंटित करने का अनुरोध किया जा सकता है।

मद सं. 13

डा. एन.एन. वार्ष्णेय, सलाहकार (एनडीडीबी) और खाद्य प्राधिकरण के सदस्य, ने दुग्ध क्षेत्र में खाद्य संरक्षा के संबंध में एक प्रस्तुति दी। यह प्रस्तुति दुग्ध क्षेत्र में खाद्य संरक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों, देश में विद्यमान

परिदृश्य और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में एफ एस एस ए आई की क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं, मुख्यतया इन विषयों पर केन्द्रित थी। यह निर्णय लिया गया कि एफ एस एस ए आई रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सुझावों के अनुसार प्रारूप विनियमों का प्रस्ताव करेगा। इस रिपोर्ट को टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर भी डाला जाए।

धन्यवाद ज्ञापनः अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए बैठक समाप्त हुई।

अनुलग्नक – 1

दिनांक 8 मई, 2009 को 11 बजे एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में इसके मुख्यालय में आयोजित एफ एस एस ए आई की द्वितीय बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे।

खाद्य प्राधिकरण के सदस्यः

1. श्री पी.आई. सुवरथन, अध्यक्ष
2. श्री वी.एन. गौड़, सदस्य सचिव
3. श्रीमती उपमा चौधरी
4. श्रीमती वंसुधरा प्रमोद देवधर
5. श्री वी. बालासुब्रामणियम
6. श्री अंशु प्रकाश
7. श्री देबाशीश पांडा
8. श्री बिजोन मिश्रा
9. श्री स्वपन कुमार पाल
10. श्री शिव नारायण साहु
11. डा. पी. सुचरिथा मूर्ति
12. श्री गौतम सन्यान
13. श्री संजय सिंह
14. श्री एन.एन. वार्ष्णेय
15. श्री के.एस. लुडु
16. सुश्री मोना मल्होत्रा चोपड़ा
17. डा. इंदिरा चक्रवर्ती
18. डा. इद्राणी कर

एफ एस एस ए आई स्टाफः

1. श्री एस.बी. डोंगरा, निदेशक (एफएवंवीपी)
2. श्री आर. विजय, निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)
3. श्री अनिल मेहता, उप–निदेशक
4. श्रीमती सुधा जोस, सहायक निदेशक
5. श्री एस.के. शर्मा, एसआईओ
6. श्री पी. कार्तिकेयन, जेआईओ
7. श्री प्रमोद सिवाच, जेआईओ